



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1990/ज्यैष्ठ 23, 1912
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1990/JYAISTHA 23, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

अनुसूची

(पत्तन पत्र)

नई दिल्ली, 13 जून, 1990

संकांति 571 केंद्र सरकार महापरिवहन न्याय अधिनियम (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ संशोधित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल पत्तन न्याय मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (पोत चालकों को अनुज्ञा देना एवं नियंत्रण करना) विनियम 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाश की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12012/8/89जे.ई.]

ए. एन. कवकड़, संयुक्त सचिव

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यासी बोर्ड प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों के अधिनियम 1963 (1963 का 38) का धारा 24 की उपधारा के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियमन करता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) ये विनियम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (पोत चालकों को अनुज्ञा देना एवं नियंत्रण करना) विनियमन 1990 के नाम से जाना जाएगा।

परिभाषाएं:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ के अर्थवा अपेक्षित न हों:—

- (1) "बोर्ड" "चेयरमैन" "डिप्टी चेयरमैन" का अभिप्राय वही होगा जैसा कि प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों के अधिनियम 1963 (1963 का 38) में दिया गया है।
- (2) अनिवार्य जलपोत चलाने की जल सीमाओं का अभिप्राय भारतीय पोर्टों के अधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 4 क, उपधारा (2) के अन्तर्गत परिभाषित सीमाओं से है।

- (3) उप संरक्षक (डिप्युटी कन्वेक्टर) का अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसमें जलपोत चलाने का निर्देश देना एवं प्रवृत्त करना निहित है।
- (4) बन्दरगाह मास्टर (हार्बर मास्टर) का अभिप्राय ऐसे कार्यों के निष्पादन करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है जो कि उसको समय-समय पर उपसंरक्षक द्वारा सीपे जाएं।
- (5) डॉक मास्टर का अभिप्राय किसी अधिकारी से है जिसकी नियुक्ति जलपोतों के संबंध में ऐसे कार्यों के निष्पादन करने के लिए की गई हो जो कि उसकी समय-समय पर उपसंरक्षक द्वारा सीपे जाएं।
- (6) इस पोर्ट का अर्थ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से है।
- (3) मार्गदर्शक जलपोत की स्थिति, विवरण एवं ध्वज तथा पहिचान का सिग्नल:—(1) कोई भी मार्गदर्शक जलपोत क्लावा प्वाइंट के साथ मलबार प्वाइंट की लाइन पर रहेगा।

मार्गदर्शक जलपोत अधोलिखित रूप में रंगों, चिह्नों की जाएगी:—

- (1) ऊपरी हिस्सा सफेद रंग एवं दृढ़ टॉपिंग लाल रंग और काले रंग के टॉप के साथ नीचे रंग का चौगा।
- (2) पिछले भाग में तथा प्रत्येक अग्र भाग में जरांतर का नाम और जलपोतों के प्रत्येक भाग में जहाजों के मध्य चालक (पायलट) लिखा होना चाहिए।

मार्गदर्शक गश्ती जलपोत जब स्टेशन में होगा तब —

- (क) दिन में जलपोत के मुख्य अग्रभाग में लाल एवं सफेद रंग का ध्वज, जो 7 मीटर लम्बा एवं 1.73 मीटर चौड़ा होगा, एवं जो अशुद्ध स्थिति में होगा, लगातार फहरता रहेगा, जिसकी ऊपरी शैलिक भाग सफेद होगा और निचला शैलिक भाग लाल होगा और अथवा ऐसे अन्य प्रतीक (चिन्ह) होंगे जो नियमानुसार या कानून के अनुसार उन समय प्रचलित नियम के अनुसार लागू किये जायेंगे।
- (ख) रात्रि में उस समय प्रचलित नियम या कानून के अनुसार प्रकाश (बत्ती) प्ररिणत होना रहेगा।

(4) चालकों पर हार्बरमास्टर एवं डॉकमास्टर का नियंत्रण

हार्बरमास्टर, डॉकमास्टर पर नियंत्रण रखेगा और वह जलपोतों के पोर्ट में प्रवेश करने अथवा पोर्ट छोड़ने या जलपोतों को लंगर डालने तथा लंगर निकालने अथवा पोर्ट में किसी लंगर-स्थल (या सोने की जगह पर) अथवा स्थल पर सोने की जगह करने या न करने के समय पोतों चलाने के कार्यभार को संभालने समय चालकों पर नियंत्रण रखेगा। और डॉकमास्टर जलपोतों चालकों पर नियंत्रण रखेगा और जलपोत चालक जलपोतों को बंधे में लाने समय या बंधे में न जाने समय उन पर नियंत्रण रखेगा।

(5) जलपोत चालक लाइसेंस धारक होना चाहिए

सभी जलपोत चालक (एवं डॉकमास्टर) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हेतु एक चालक का काम करने के लिए लाइसेंस धारक होंगे। ये लाइसेंस केन्द्र सरकार के स्वीकृतिपत्रों पर चेअरमेन के हस्ताक्षर के तहत जारी किये जायेंगे और बोर्ड की सामान्य मुहर द्वारा मुहर लगायी जाएगी तथा चेअरमेन द्वारा रद्द करने योग्य होंगे।

(6) परीक्षा का विषय:

परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का समावेश होगा, अर्थात्:—

- (क) बन्दरगाह में जलपोत चलाने के लिए एवं समय-समय पर पोर्ट पर पहुंचने के लिए विनियमों एवं नियमों को बताना

(ख) किसी दो जलपोतों के बीच का काम (गति) एवं इसी जलपोतों का बंधन एवं उतार।

(ग) ध्वतियों की गहनता (गहराई) एवं न्यूनता।

(घ) पोर्ट की सीमाएं, लंगर और स्थानों, चट्टानों, उथले (100) एवं बलक किनारों तथा अन्य जलपोतों, सीमा चिह्नों, जीवित स्थलों, मकेत मजानों (आकाशदर्शी) एवं प्रकाशस्तंभ।

(ङ) स्टीमरों (वायपोतों) एवं जहाजों का प्रवृत्त, उनको कैसे लंगर डाला जाए और जलपोतों के समय कैसे लंगरों को निकाला जाए।

(च) जलपोतों की किनारे बांधना या हिनारे न बांधना तथा उनको जन के भीतर ले जाना।

(छ) सभी प्रकार का स्थितियों में किसी जलपोत को संभालना और उसी तरह के अन्य विषय को परीक्षा समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(7) परीक्षा समिति

यह परीक्षा किसी एक परीक्षा समिति द्वारा चलायी जाएगी:—

- (1) उपसंरक्षक (डिप्युटी कन्वेक्टर) (चेअरमेन)
- (2) हार्बरमास्टर।
- (3) डॉकमास्टर।

(4) विदेश जाने वाले जलपोत का एक मास्टर।

(5) अनुनीय परिदायियों की परीक्षा

परिदायिता अर्थात् यदि कोई चालक नियुक्त होने की तिथि से भी महीने के भीतर निर्धारित परीक्षा में अथवा होगा तो वह सफल होने का पात्र होगा।

(9) चालकों का वर्गीकरण

कोई भी चालक जिसको लाइसेंस प्राप्त किया गया हो उसको जलपोत चलाने के लिए निम्नलिखित तरीकों में अनुमति दी जाएगी:

(क) प्रथम तीन महीने के दौरान संपूर्ण रजिस्टर साठ हजार टनों से अधिक वजन वाले जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) अगले तीन महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 10,000 टनों से अधिक वजन वाले जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) अगले तीन महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 12,000 टनों से अधिक के जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी। (सामान्य लंदे हुए टैंकरों तथा युद्ध के सिपाहियों को छोड़कर परन्तु आगमों एवं तबों के आगे पीछे स्थिरक में टैंकरों के साथ)।

(घ) अगले छः महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 15,000 टनों से अधिक वजन वाले जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी। (सामान्य लंदे हुए टैंकरों और सैनिकों के साथ परन्तु स्थिरक में टैंकरों को छोड़कर)।

(ङ) अगले बारह महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 18,000 टनों से अधिक वजन वाले जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी। 100 म म से अधिक के ट्रायट नहीं।

(च) अगले बारह महीनों के दौरान संपूर्ण रजिस्टर 25,000 टनों से अधिक जलपोत चलाने की अनुमति नहीं होगी। 100 म से अधिक के ट्रायट नहीं।

(छ) तदनन्तर पूरे टनों याद सभी जलपोत अथवा बिना किसी प्रतिबंध के सभी जलपोत चलाये की अनुमति होगी।

2. किसी चालक का स्थानांतरण एक दर्जे में दूसरे ऊंचे दर्जे पर उप संरक्षक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एवं उपसंरक्षक वायव्य पोर्ट ट्रस्ट के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकेगा।

3. वर्षे क, ख, ग, घ या ङ के पायलट जैसा कि उपनियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, 6 महीना या उससे अधिक अवधि की छुट्टी से वापस आने के बाद जैसा कि उपसंरक्षक द्वारा निर्धारित किया गया हो एक वर्ष से दूसरे वर्षों को और पायलट ग्राउंड को या उसके विपरीत फेरे लगायेगा। और जैसा कि उपसंरक्षक द्वारा निर्धारित किया गया हो किसी स्टीमर के चालक संबंधी कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी बरिष्ठ चालक क चालक संबंधी कारभार में किसी स्टीमर के प्रिज पर फेरे लगायेगा।

4. जैसा कि वर्षे समिति द्वारा सिफारिश की गई है और चालक संबंधी प्रक्षेपों (संधिपत्र की मूल प्रति) में दोनों पोटों द्वारा अनुसमर्थन किया गया हो।

(10) नियंत्रण स्टेशन पर डाकमास्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य

उपसंरक्षक द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार डाक मास्टर ऐसी अवधि के लिए कचक्रानुक्रम से नियंत्रण स्टेशन पर कार्य निष्पादन करेगा।

(11) कुछ निश्चित परिस्थितियों में ऊंची टनों की दर वाले कार्य जलपोत का कारभार ग्रहण करने के लिए चालकों को निर्देश देने का अधिकार—

यदि आवश्यक हुआ हो, डाकमास्टर किसी चालक को, जिस जलपोत को चलाने के लिए विनियम 9 के अंतर्गत वह योग्यता प्राप्त किया हो, उससे भी अधिक टनों की क्षमता वाले जलपोत को चलाने के लिए निर्देश दे सकता है। ऐसे प्रत्येक मामले में, डाकमास्टर फौरन कारणों का हवाला देने हुए उनकी सेवा में ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों हुई, उपसंरक्षक को लिखेगा।

(12) गश्ती (खोज) नावों (लान्चों) दर्जनों का प्रवेश निषेध अल्पस्थिति की छोड़कर, उपसंरक्षक की अनुमति के बिना लाइसेंस शुद्ध बोर्ड पर रहने वाले चालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गश्ती लान्च पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(13) कन्ट्रोल स्टेशन पर लांगबुक रखन

लांगबुक डाकमास्टर द्वारा प्रतिदिन पर्यवेक्षित एवं प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी और इसका कन्ट्रोल स्टेशन में रखा जायेगा।

(क) हथकड़ी एवं लहरों की दिशा एवं गति।

(ख) थर्मामीटर एवं बैरोमीटर के बयानों का एक हिस्सा का तापन।

(ग) चालक का बोर्ड पर जाने का समय और जलपोत की क्षमता का समय।

(घ) किसी बाहर जाने वाले जलपोत को चालक द्वारा छोड़ने का समय।

(ङ) और गश्ती लान्च पर उसके रुकने होने का समय।

(च) नौकहन के लिए मनी सिग्नलों का धिक्करण।

(छ) उपसंरक्षक द्वारा अन्य दिए जानेवाले आदेशों का धिक्करण।

(14) लांगबुक का निरीक्षण करने के लिए उपसंरक्षक के पास अग्रपिपिन करन।

कन्ट्रोल स्टेशन पर तैनात डाकमास्टर लांगबुक को उपसंरक्षक के पास लेने समय पर निरीक्षण हेतु भेजेगा जो समय उसके द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(15) कन्ट्रोल स्टेशन पर डाकमास्टर की ड्यूटी

कन्ट्रोल स्टेशन का डाकमास्टर बवाहपनाय नहण्ड पॉट ट्रस्ट के कन्ट्रोल स्टेशन पर ड्यूटी पर रहेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उपसंरक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

(16) कनिष्ठ चालकों एवं परिवीधावीन चालकों को डाकमास्टर द्वारा अनुदेश देना।

चालकों को ड्यूटी की सभी बाधाओं में कनिष्ठ चालकों एवं परिवीधावीन चालकों को अनुदेश देकर डाकमास्टर उनकी मदद करेगा।

(17) डाकमास्टर एवं चालक की पहचानने का ध्वज

प्रत्येक डाकमास्टर एवं चालक की पहचान ध्वज दिया जायेगा जिसको जलपोत पर फहराया जायेगा, इसको इस स्थिति में रखा जायेगा जो कि सिग्नलों के बावजूद भी दिखाई दे। सिग्नल स्टेशनों या डाकों पर फहराया गया ध्वज, डाकमास्टर या चालक जहाज पर मवार हो सूचना देने के लिए उपयोग किया जायेगा।

(18) प्राधिकारी के आदेशों को चालकों द्वारा पालन करन।

किसी चालक को बोर्ड द्वारा, चैयरमैन द्वारा, डिप्यूटी चैयरमैन द्वारा या डिप्यूटी कन्ट्रोलर द्वारा और अथवा हार्बर मास्टर एवं डाक मास्टर द्वारा जब वे कन्ट्रोल स्टेशन पर हों, उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों विनियमों का पालन किया जाना चाहिए एवं उनको लागू किया जाना चाहिए। बयं करने, अनबयं करने, जलपोत को रस्सी के सहारे किनारे खींचने, तथा जलपोतों को परिवहन करने या हटाने के संबंध में, जो उसके कार्यभार में हों, डाकमास्टर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन उसको करना होगा।

(19) चालक का बर्ताव

चालक को हर समय कठोर समय बरतना चाहिए। संपूर्ण समय वह जलपोत का प्रभारी होगा तथा उसकी सुरक्षा एवं साथ ही साथ अन्य जलपोतों एवं संपत्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। यदि जलपोत चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर उसका पर्यवेक्षण करेगा और आफिसर-इन-कमान्ड या जलपोत मालिक के लिखित आदेश के बिना उसे उथले स्थल पर नहीं ले जायेगा।

(20) चालकों को उनके द्वारा निष्पादित की गई सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करन।

चालक, जलपोत को सवारी/खाला पूरा करने के बाद उसके छूटने तथा पहुंचने की रिपोर्ट मास्टर को देगा और जलपोत विवरणों की वह अपने हस्ताक्षर के साथ उसमें दर्ज करेगा। मिडिल ग्राउंड में जलपोत के पहुंचने के पहले पहुंच रिपोर्ट को विधिपूर्वक भरकर चालक को वापिस करना चाहिए और सेवा रात के पास पहुंचने के पहले छूटने की रिपोर्ट को विधिपूर्वक भरकर चालक को वापिस किया जाना चाहिए। जब चालक की ड्यूटी पूरी हो जाये तब परिवहन करने तथा संग्रह डालने के कार्य का प्रमाणपत्र चालक द्वारा भरकर मास्टर के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(21) चालक का जलपोत की सवारी हेतु ठीक समय पर पहुंचना

कौंई जलपोत, जो बाहर जाने वाला हो, अथवा जो बयं में हो और बयं से निकलने वाला हो, कार्यभार संभालने वाले चालक को निश्चित समय अर्थात् उसके समुद्र में जाने अथवा गंतव्य स्थान को जाने के लिए समय से पहले जलपोत में मवार होकर स्वयं आफिसर-इन-कमान्ड को रिपोर्ट करना होगा।

(22) ड्यूटी पर तैनात चालक को अपना लाइसेंस अपने साथ रखना

किसी चालक को जो ड्यूटी पर होगा, उसको अपने साथ में लाइसेंस पॉट से लिए अधिकारिक हाईड टेबल, पॉट नियमों की एक प्रति, वर्तमान लागू होने वाले चालक संबंधी विनियमों और बुक का लाइसेंस रखना होगा।

23) यदि चालक को भोजन एवं सोने की जगह की व्यवस्था न हो तो, वह हार्बर में जलपोत को लंगर डालने के बाद जलपोत छोड़ सकेगा :-

जलपोत का मास्टर जो चालक संबंधी कार्यभार संभालेगा उसका यदि आवश्यक हुआ तो चालक हेतु उचित आवास की व्यवस्था करनी होगी। और इसके साथ ही रात्रि 7 बजे से 9 बजे के बीच नाश्ता और दोपहर का भोजन दोपहर से 2 बजे के बीच, तथा शाम का भोजन 6 बजे से 8 बजे के बीच, यदि उपर्युक्त समय में लंगर डाले हुए जलपोत हार्बर में खड़ा हो तो उसकी सुबह, दोपहर, एवं शाम के नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी। जलपोत के मास्टर को और से उपर्युक्त व्यवस्थाएं न किए जाने पर चालक ऐसा करने के अपने हक को लिखित रूप में, कम से कम एक घंटे पहले, आफिस-इन-कमान्ड को नोटिस देकर, जलपोत छोड़कर, किनारे आ सकेगा। और जितनी जलवाही हो सके मामले को लिखित रूप में उपसंरक्षक के पास रिपोर्ट करेगा।

24) चालकों को देखना चाहिए कि सभी लंगर मकान होने के लिए तैयार हैं :-

किसी चालक को किसी बाहर जाने वाले से जलपोत का कार्यभार संभालने के पहले जलपोत के मास्टर से जानकारी करना होगा कि क्या स्टिचरिंग गियर जुड़ा हुआ है एवं कार्य करने की अच्छी स्थिति में है और दोनों लंगरों को मुक्त करने के लिए तैयार होने का संकेत देता है।

25) चालकों द्वारा साक्ष्य देना।

चालक किसी मुकदमों या जांच में जिसमें वह कोई पक्ष न हो तथा जब तक उसे सम्मन न मिला हो, उपसंरक्षक (डिप्यूटी कंजर्वेटर) को पूर्ण अनुमति के बिना साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं होगा। यदि किसी पायलट को साक्ष्य देने के लिये सम्मन मिला हो तो उसको रिपोर्ट ही उपसंरक्षक को दे देनी चाहिए।

26) चालक नौपरिवहन संबंधी चिन्तों के किसी बदलाव की सूचना देगा :-

किसी चालक को, जिसने जैनलों में (परिवर्तन) बदलाव का निरीक्षण किया हो, अथवा किसी उपसंरक्षक का पता लगाया हो, दायरस्तमों अथवा हलके (कम बजतगले) जलपोतों को दूर ले जाया गया हो, तोड़ दिया गया हो, क्षति पहुंचाई गई हो, अथवा दिशा बदल दी गई हो अथवा नौ-परिवहन की सुरक्षा को, संज्ञा, प्रभावित करने के लिए किसी अन्य प्रकार की परिस्थिति से अवगत हो तो उपर्युक्त के बारे में उपसंरक्षक के पास फौरन विस्तृत रिपोर्ट भेजना चाहिए।

27) चालक को दुर्घटना (अपघात) की रिपोर्ट देनी चाहिए :-

जब कभी जलपोत द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना (अपघात) हुई हो अथवा चालक के कार्यभार में जलपोत के कारण हुई हो, चालक को चाहिए कि वह इस उद्देश्य हेतु बहिष्कार (प्रकार) में लिखित रूप में तथ्यों का रिपोर्ट, जिसका अभाव संभव हो, उपसंरक्षक के पास भेजे।

28) हार्बर मास्टर द्वारा जलपोतों पर, जलपोतों की उपस्थिति निर्दिष्ट करना :-

हाकमास्टर के निरीक्षण के अंतर्गत, ड्यूटी पर तैयार चालकों को जहाजों को चलाने के लिए उनको जहाजों से संबंधित, विस्तृत विवरण देना होगा। एक सूची, जिसमें जलपोतों के अलग-प्रलग दर्जों का संबंध, दर्शाते हुए, जो कि उनको जहाजों के लिए दिए जाने वाले हों तैयार को जानो चाहिए और उपसंरक्षक या हार्बर मास्टर के कार्यालय में रखी जानी चाहिए। उपसंरक्षक के कार्यालय में तैयार करके रखी हुई सूची के अनुसार व्यक्तिगत गतियों हेतु चालकों का वितरण या फेर-बदल के जरिये किसी तरह का आवश्यक समायोजन, अथवा चालकों के वितरण के रणनीतिक को अंश देना होगा, जो नौपरिवहन स्टेशन है, पर किया जावेगा।

29) चालकों के बहिष्कारी कार्यों (ड्यूटीज) का आरंभ :-

बाहर जाने वाले जलपोत के संबंध में किसी चालक का काम तब आरंभ होगा :-

(1) जलपोत में सवार होने के बाद हार्बर में,

30) चालक के बहिष्कारी कार्यों का समापन :-

(1) बाहर जाने वाले जलपोतों के संबंध में किसी चालक के कार्यालय का तब समापन हो जायेगा जब पायलटनेज ग्राउंड को जलपोत चला दिया जायेगा।

(2) किसी चालक को कोलावा छोर (क्वांट) से जलपोत छूटने के पहले यंत्र में चाल रहने के छिद्र (वेयरिंग) तथा अनुमानित अन्तर (दूरी) की खात्री कर लेनी चाहिए तथा उसके डिवाचर रिपोर्ट में दर्ज कर लेनी चाहिए।

(30) चालक के आधिकार्यों का आरंभ :-

आवर की ओर जाने वाले जलपोतों के संबंध में किसी चालक के कार्य तब आरंभ होंगे जब वह अनिवार्य रूप से बलाए जाने संबंधी पानी (पायलटनेजवाटर) के सीमा के भीतर जलपोत पर सवार।

(32) जलपोत पर सवार होने के बाद चालक को दृश्य दूरी के रोगों आदि के होने की खात्री करना :- किसी चालक को किसी आने-वाले जलपोतों पर सवार होने के बाद निम्न लिखित बातों की खात्री करना चाहिए कि :-

(1) क्या यात्रा के दौरान जहाज पर किसी तरह का छुम छूत रोग या यदि था, अथवा है, जो कि गंभीर प्रकृति का है, तो (क्वैरॉइन्टी हल) संगरोध नियम में की गई व्यवस्था के अनुसार उसको संगरोध लंगर स्थल में जलपोत का लंगर डाल देना चाहिए। और संगरोध सिग्नल का ध्वज फहराना चाहिए और इस संबंध में रिपोर्ट संगरोध नियम में दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

(2) कोलावा छोर (क्वांट) से समय, यंत्र में चल रहने के छिद्र (वेयरिंग) एवं अनुमानित दूरी (अन्तर) नोट करना चाहिए, जलपोत के वर्तमान ड्राफ्ट एवं डीपलोड ड्राफ्ट की खात्री करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि दोनों लंगर स्पष्टरूप से मुक्त हैं। और यह भी देखना चाहिए कि राष्ट्रीय-ध्वज फहराया गया है, तथा जहाज का नाम लिख हुए ध्वज तथा अन्य सिग्नलों को, जो समय-समय पर पोर्ट नियमों द्वारा आवश्यक हैं, फहराए गए हैं, लगाए गए हैं। यह भी देखना चाहिए कि उडरुंगा ध्वज एवं सिग्नल इस तरह से लगाए गए हैं जो कि पोर्ट सिग्नल स्टेशन से साफ साफ दिखाई देते हैं।

33) जलपोतों का धूमना घुमाया जाना :-

जब तक निम्नलिखित बातें पूरी न हो जाएं, कोई भी चालक किसी धूमनेवाले या चलनेवाले जलपोत को पोर्ट के भीतर एक दिशा से अन्य (दूसरी) दिशा की ओर न तो घुमा (मोड़) सकेगा या न तो दिशा निवेश ही कर सकेगा।

(1) यदि जलपोत चालू स्थिति में होगा तो मास्टर को इस पर रहना होगा।

(2) यदि मास्टर जलपोत के चलने की गति के पूर्ण होने के पहले ही जलपोत छोड़ देता है तब जलपोत चालक, जितनी अधिक आसानी से जलपोत सुरक्षित स्थिति में पहुंचा सके, लंगर डालने के लिए दिशा निर्देश देगा। और एक ही दिशा में अथवा एक ही दिशा में चलाए जायेगा।

(3) जलपोत चलते समय तक बहुत से अधिकारी एवं नाविक जलपोत पर रहेंगे और ड्यूटी पर प्राप्त होंगे और जहरत पड़ने पर किसी भी कार्य को करने के लिए पर्याप्त होंगे। जलपोत पर सवार होने पर चालक यदि विचार करता है कि उपर्युक्त अधिकारियों एवं नाविकों की संख्या भरपूर नहीं है तो वह पोर्ट के नियम की ओर जलपोत पर उपर्युक्त स्थित मास्टर का ध्यान आकर्षित करेगा और जब तक कि मास्टर स्वयं पर संपूर्ण जबाबदारी, लेकर घोषणापत्र पर स्वतः हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक चालक जहाज चलाने से इनकार कर सकता है।

व्याख्या:—इस विनियम में मास्टर का तात्पर्य बाद वाले अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कार्यों के निष्पादन में अग्रिम होने पर मास्टर की हस्तियत से कार्य करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत प्रथम या अन्य अधिकारी से है।

34) चालक को जलपोत पहुंचने की रिपोर्ट देना:—

जलपोत के गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के बाद, जलपोत को भीतर और चलाने के पश्चात्, अथवा उसको धारा में चलाकर ले जाने के बाद अथवा चालक संबंधित धरातल से वापसी के बाद, चालक अगला ड्यूटी हेतु इस उद्देश्य हेतु रखे गए रेडिस्टर में अपना नाम दर्ज करने हुए अतिरिक्त उपसंरक्षक कार्यालय या कंट्रोल स्टेशन को रिपोर्ट देगा।

(35) किसी चालक का लाइसेंस खो जाने पर वह फॉरन उपसंरक्षक के पास, जिन परिस्थितियों में लाइसेंस खो गया हो उसका विवरण देते हुए इसकी सूचना देगा और संरक्षक जब तक सन्तुष्ट नहीं होगा कि ल लाइसेंस चालक के द्वारा चरण में खो गया है, चालक को लाइसेंस का प्रतिलिपि (दूसरी प्रति) जारी करने की व्यवस्था करेगा।

(36) चालकों द्वारा घाटों की जांच करना:—

सभी चालक उपसंरक्षक हावर्ड मास्टर के कार्यालय पर निरन्तर उपस्थित होने रहेंगे और पोर्ट या पोर्ट संबंधी अन्य सूचना बाद के घाटों एवं प्लानों में दी गई जानकारी का पता लगायेंगे।

(37) डाक मास्टर और चालक चैयरमैन द्वारा निर्धारित बंदी, जब वे ड्यूटी पर होंगे, पढ़ेंगे।

(38) व्याख्या:—यदि इन विनियमों की व्यवस्था में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे चैयरमैन के पास भेज देना चाहिए जिसका कि निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

(39) निरसन एवं मंचन (बचत):—

इस विनियमों के तदनुसार सभी विनियम एतद्वारा निरसन (रद्द) किए जाते हैं।

(क) बशर्ते कि ऐसे रद्द किए गए विनियमों के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के तदनुसार प्रावधानों के अन्तर्गत दिया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई माना जायेगा। लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल आफ पायलटन, रेगुलेशन 1975 के अन्तर्गत बी पी टी द्वारा बनाए गए विनियमों को इन विनियमों में कुछ भी अंतर्गत नहीं माना जायेगा अथवा वोम्बे पोर्ट द्वारा बनाए गए कोई दूसरे नियम, जो कि तब लागू होंगे, जब जलपोतों को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के चालक संचालन कार्यभार के अधीन बम्बई के सर्वसामान्य उपयोजना जलमार्ग में आना जाना कर रहे होंगे।

(ख) जहां तक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पायलटिंग लाइसेंस की संज्ञा का संबंध है, वाग्ने पोर्ट के पूर्ण टन भार वाले चालक इन विनियमों के प्रावधानों से छूट पाने की संज्ञा के (पात्र) हकदार होंगे बशर्ते कि दी गई छूट की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के डिप्यूटी कंसर्वेटर द्वारा लिखित रूप में दी गई हो तथा जो स्वतः सन्तुष्ट हो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जलमार्ग की उपरेखाओं नौसंचालक संबंधी साधनों की व्यवस्था तथा नौ संचालन संबंधी अमल में लागू हुए नियमों में प्रायः अंतर्गत है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing)

New Delhi, the 13th June, 1990

NOTIFICATION

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 24, read with Section 28, Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port (Licensing and Control of Pilots) Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/8/89-PE.I]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by proviso to Sub Section (1) of Section 24, read with Section 28, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port, with the approval of the Central Government, under Sub-section (1) of Section 124 of the said Act, hereby makes the following Regulations :

(1) Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port (Licensing & Control of Pilots) Regulations, 1990.

(2) Definitions : In these Regulations, unless the context otherwise requires.—(1) "Board", "Chairman" and "Deputy Chairman" shall have the same meaning as in the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

(2) 'Limits of compulsory pilotage waters' means the limits defined under Sub-section (2) of Section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).

(3) 'Deputy Conservator' means the officer in whom the direction and management of Pilotage are vested.

(4) 'Harbour Master' means the officer appointed to perform such duties as may from time to time be assigned to him by the Deputy Conservator.

(5) 'Dock Master' means an officer appointed to perform such duties in connection with movements of ships as may, from time to time, be assigned to him by the Deputy Conservator.

(6) 'Port' means the Jawaharlal Nehru Port.

(3) Position in station, description and flags of identification of Pilot Vessel.—(1) A Pilot vessel will be stationed on a line with Malabar Point in transit with Colaba Point.

The Pilot vessel shall be painted as follows.—(1) White top sides and red boot topping and funnel buff with a black top :

(ii) Her name on the stern and on each bow and the word 'PILOT' amid ships on each side of the vessel.

The Pilot Vessel, which on station, shall :—

(a) during day time, keep continuously flying at the main smotherhead a red and white flag in good condition measuring not less than 2 mtrs. by 1.25 mtrs. wide, the upper horizontal half of which shall be white and the lower horizontal half red and/or such other signals in accordance with the rules or law for the time being in force;

(b) during night, exhibit lights in accordance with the rules or law for the time being in force.

(4) Harbour Master's & Dock Master's control over Pilots.—The harbour Master shall have control over Dock Master and Pilots in pilotage charge of vessels while entering and leaving the Port or mooring or un-mooring or berthing or unberthing at any anchorage or berth in the Port and a Dock Master shall have control over Pilots and Pilots in Pilotage charge of vessels while entering or leaving the berth.

(5) Pilots to be licensed.—All Pilots and Dock Masters shall hold licences to perform the duties of a Pilot for the Port of Jawaharlal Nehru. These licences subject to the sanction of the Central Government, shall be issued under the signature of Chairman and sealed with the common seal of the Board and be revocable by the Chairman.

(6) Subject of Examination.—The examination shall include the following subjects, namely :

(a) regulations and rules framed for navigating in the harbour and approaches to the berths from time to time.

(b) course and distances between any two places rise and set of tides.

(c) depth and character of soundings.

(d) anchorages, rocks, shoals and other dangers, landmarks, buoys, beacons and lights within the port.

(e) management of ships and steamers, how to bring them to anchor and to keep clear of their anchors in a tideway.

(f) to moor and unmoor and to get underway.

(g) to handle a vessel under all conditions and such other subjects as may be determined by the examination committee.

(7) Examination Committee.—The examination shall be conducted by an examination committee :

(1) the Deputy Conservator (Chairman)

(2) the Harbour Master

(3) a Dock Master

(4) a Master of foreign-going ship.

(8) Failure to pass examination.—In the event of a probationary pilot failing to pass the specified examination within nine months of his appointment, he will be liable to be discharged.

(8) Classification of Pilots.—(1) A Pilot on being licensed will be permitted to pilot vessels as follows :

(a) during the first three months, vessels not exceeding 8000 tonnes gross register.

(b) during the next three months, vessels not exceeding 10000 tonnes gross register.

(c) during the next three months, vessels not exceeding 12000 tonnes gross register (excluding loaded tankers and men-of-war but including tankers in ballast to and from stream and the berth).

(d) during the next six months, vessels not exceeding 15000 tonnes gross register (excluding loaded tankers and men-of-war, but including tankers in ballast).

(e) during the next 12 months, vessels not exceeding 18000 tonnes gross register, draft not exceeding 9.0 M.

(f) during the next 12 months, vessels not exceeding 18000 tonnes gross register, draft not exceeding 9.0 M.

(g) thereafter, full tonnage, i.e. all vessels without restriction.

(2) The transfer of a pilot from one class to the next higher class will not be made without the approval of the Deputy Conservator, JNPT & BPT.

(3) On returning from leave for six months or over, a Pilot included in class (a), (b), (c), (d) or (e) specified in sub-regulation (1) shall, if so decided by the Deputy Conservator, make such number of trips between the berths and the pilot ground and vice versa as may be determined by the Deputy Conservator on the bridge of a steamer in pilotage charge of a senior pilot before taking pilotage charge of a steamer.

(4) As recommended by Barve Committee and ratified by the two ports in the Pilotage Protocol.

(10) Dock Master to do duties at the control station.—The Dock Master shall perform the duties at the control station in rotation for such periods as may from time to time be ordered by the Deputy Conservator.

(11) Power to direct pilots to take charge of a vessel higher tonnage in certain circumstances.—The Dock Master may, if necessary, direct a pilot to pilot a vessel exceeding in tonnage the vessels which he is qualified under regulations 9 to Pilot. In every such case, the Dock Master shall forthwith send a report in writing to the Deputy Conservator stating the reasons which in his opinion necessitated such action.

(12) Visitors not be allowed on Pilot Launches.—Except in cases of emergency, the Pilot Launch shall not receive any person other than a licensed Pilot on board without the permission of the Deputy Conservator.

(13) **Log Book to be kept at Control Station.**—A Log Book supervised and countersigned daily by the Dock Master shall be kept in the Control Station.

- (a) direction and force of wind and currents.
- (b) readings of Barometer and Thermometer.
- (c) time the pilot was placed on board an incoming vessel.
- (d) time when the pilot leaves an outbound vessel and boards the Pilot Launch.
- (e) all signals to shipping
- (f) all signals to shipping
- (g) such other particulars as may be ordered by the Deputy Conservator.

(14) **Log Book to be forwarded to the Deputy Conservator for Inspection.**—The Dock Master on the Control station shall forward the Log Book to the Deputy Conservator for inspection at such intervals as may be prescribed by him.

(15) **Duties of Dock Master on Control Station.**—The Dock Master on Control Station shall be on duty at the control station at Jawaharlal Nehru Port at such times and shall perform such duties as may be specified by the Deputy Conservator.

(16) **Dock Master to give instructions to junior pilots and probationary pilots.**—The Dock Master shall assist in instructing the junior pilots and probationary pilots in all branches of a Pilot's duty.

(17) **Dock Master & Pilot's distinguishing flag.**—Each Dock Master & Pilot shall be provided with a distinguishing flag which is to be hoisted on the vessels while in his charge in such a position where it can be seen and apart from other signals. The same flag hoisted at any of the signal stations or at the docks will be used in communicating with the vessel when the Dock Master Pilot is on board.

(18) **Pilots to obey the orders of the authority.**—A pilot shall obey and execute all orders and regulations given or issued by the Board, the Chairman, the Deputy Chairman, the Deputy Conservator and or the Harbour Master and the Dock Master while at the Control Station. He shall also obey all orders given by the Dock Master relating to the berthing, unberthing, towing, transporting or removing of vessels under his charge.

(19) **Pilot's behaviour.**—A Pilot shall, at all time, exercise a strict sobriety. He shall throughout the time he is in charge of a vessel use his utmost care and diligence for her safety and the safety of other vessels and property. He shall when necessary keep the lead going when the vessel is underway. He shall not lay by the vessel a ground without a written order from the owner or officer in command.

(20) **Pilots to obtain certificate of services performed by them.**—A Pilot shall, on boarding the vessel, hand the Arrival Departure Report to the Master who shall enter therein all the required particulars over his signature. The Arrival Report shall be dully filled in and returned to the pilot before the vessel reaches Middle Ground and Departure Report before reaching the Sunk Rock. Transporting and Anchoring certificates shall be filled in by the Pilot and presented to the Master for signature when the duties of the Pilot are completed.

(21) **Pilot to go on board vessels in good time.**—A Pilot about to take charge of a vessel which is outward bound, or which is about to be moved from berth in which she is lying shall go on board and report himself to the officer in command at the time appointed, i.e. in sufficient time for her to be moved out to sea or to her destination.

(22) **Pilot when on duty to carry with him his licence, etc.**—A Pilot when on duty shall always have with him an official Tide Table for the port, a copy of the Port Rules, Pilotage Regulations for the time being in force and his Licence.

(23) **Pilot may leave vessels at anchor in the harbour if not provided with proper food and sleeping accommodation.**—The Master of a vessel in pilotage charge of a pilot shall provide the pilot with reasonable accommodation, if necessary, and with breakfast between 7 a.m. to 9 a.m. with lunch between noon and 2 p.m. and with dinner between 6 p.m. and 8 p.m. if the vessel is at anchor in the harbour during these hours. In the event of failure on the part of the Master of the Vessel, the Pilot may leave the vessel and come on shore after giving the officer-in-command atleast one hour's notice in writing of his intention to do so and shall report the case in writing to the Deputy Conservator as soon as practicable.

(24) **Pilots to see that anchors are ready to let go.**—A pilot before taking charge of a vessel outward bound shall enquire of the Master of the Vessel whether the steering gear is connected and in proper working order and direct that both the anchors be ready for letting go.

(25) **Pilots giving evidence.**—A Pilot shall not attend to give evidence on any trial or enquiry to which he is not a party, unless he is under subpoena without the prior permission of the Deputy Conservator and a Pilot under subpoena to give evidence shall at once report the fact in writing to the Deputy Conservator.

(26) **Pilots to give information of any alterations in navigational marks etc.**—A Pilot who has observed any alteration in the depth of the channels, or noticed that any buoys, beacons or light vessels have been driven away, broken down, damaged or shifted from position or become aware of any circumstances likely to affect the safety of navigation shall forthwith send a detailed report thereof in writing to the Deputy Conservator.

(27) Pilots to report casualties.—A Pilot, whenever any accident has happened to or been caused by a vessel while in his charge shall as soon as possible report the facts in writing in the form prescribed for the purpose to the Deputy Conservator.

(28) Harbour Master to regulate attendance of pilots on vessels.—Pilots on duty shall be detailed under the supervision of the Dock Master to vessels requiring their services. A list showing the rotation in which pilots having regard to their respective classes, are to be allotted to such vessels shall be drawn up and kept in the office of the Deputy Conservator or Harbour Master. The allocation of pilots for individual movements in accordance with the list drawn up in the Deputy Conservator's office and any adjustments necessitated by changes or cancellations of allocations of pilots shall be attended to by the control station at Jawaharlal Nehru Port.

(29) Commencement of Pilot's outward duties.—The duties of a pilot in regard to outward bound vessels shall commence in the harbour on boarding the vessel.

(30) Termination of Pilot's outward duties.—(1) The duties of a pilot with regard to outward bound vessels shall cease when he has piloted the vessel to pilotage ground.

(2) A Pilot shall ascertain the bearing and estimated distance from Colaba Point before leaving the vessel and enter them in the Departure Report.

(31) Commencement of Pilot's inward duties.—The duties of a pilot in regard to an inward bound vessel shall commence when he boards the vessel in any position within the limits of compulsory pilotage waters.

(32) Pilots to ascertain presence of infectious disease on board etc.—A Pilot on boarding an inward bound vessel shall :—

- (i) ascertain whether there is, or has been, during the voyage any infectious disease on board. If there is, or has been, and the disease is of a serious nature as laid down in the Quarantine Rules he will anchor the vessel in the quarantine anchorage and hoist the Quarantine Signal and carry out the instructions contained in the Port Quarantine Rules in this respect; and
- (ii) note the time, the bearing and estimated distance from Colaba Point, ascertain the vessel's present draft and deep load draft and see that both anchors are clear to be let go; see that the National Ensign is hoisted and the flags denoting the name of the vessel and any other signals, as required by the Port Rules from time to time, are hoisted in such a manner as to be clearly seen from the Port Signal Station.

(33) Moving of Vessels.—No pilot shall move or direct the moving of any vessel within the port from one position to another, unless the following conditions are fulfilled :

- (i) if the vessel is underway, the Master shall be on board;
- (ii) if the Master leaves the vessel before the movement is completed, the Pilot shall direct the vessel to be anchored in such safe position as may be most easily reached by the vessel and shall not give direction to proceed with the moving until the return of the Master to the Vessel;
- (iii) throughout the moving, the number of officers and crew on board and available for duty shall be sufficient to perform any duty which may be required and if the pilot on boarding considers that the number is not sufficient, he shall call the Master's attention to the Port Rules and refuse to proceed with the moving unless the Master first signs a declaration under his own handwriting expressly assuming entire responsibility.

Explanation.—In this regulation, the expression "Master" shall include the first or other officers duly authorised to act for the Master in the event of the latter being incapacitated from performing the duties of his office.

(34) Pilots to report on landing.—On landing, after piloting a vessel inward and/or transporting a vessel in the stream or recurring from the pilotage ground, a Pilot shall report without delay to the Deputy Conservator's office or the Control Station by entering his name on the roster kept for this purpose for further duty.

(35) Loss of Licence.—A Pilot losing his licence shall, forthwith give notice thereof to the Deputy Conservator, stating the circumstance in which the licence was lost and the Deputy Conservator shall, unless he is satisfied that the loss has been caused by the Pilot's misconduct, arrange for the issue of a duplicate licence to the Pilot.

(36) Pilot's examination of Charts.—All pilots will attend frequently at the office of the Deputy Conservator or Harbour Master to examine the latest plans and charts of the Port and other information concerning the Port.

(37) Dock Master and Pilot's Uniform.—Dock Master and Pilots shall wear on duty such uniform as may be prescribed by the Chairman.

(38) Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall be referred to the Chairman, whose decision thereon shall be final.

(39) Repeal and savings.—All Regulations corresponding to these Regulations are hereby repealed :

- (a) Provided that any order made or any action taken under the Regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations. Nothing in these Regulations shall be deemed to be repugnant to the Regulations framed by BPT under Licensing & Control of Pilots Regulations, 1975 or any other Rules framed by the Bombay

Port which are applicable when ships under the Pilotage charge of Jawaharlal Nehru Port Pilots are transitting the common user channel of Bombay.

- (b) Full tonnage pilots of Bombay Port shall be eligible for grant of exemption from the provision of these Regulations as relate to the grant of Jawaharlal Nehru Port Pilotage License, provided an exemption in writing is granted by the Deputy Conservator, Jawaharlal Nehru Port, who shall satisfy himself that the applicant is familiar with the Jawaharlal Nehru Port's channel contours, navigational aids disposition and the navigational rules in force in Jawaharlal Nehru Port.